

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग


क्रमांक: प.1(1)चिस्वा/ग्रुप-2/2018

जयपुर, दिनांक : 22.01.2019

आदेश


मा. राजस्थान उच्च न्यायालय बैंच, जयपुर द्वारा डी. बी. स्पेशल अपील (रिट) नम्बर 1495/2018 में पारित आदेश दिनांक 06.12.2018 की पालना में डा. दीपमाला नागर, चिकित्सा अधिकारी द्वारा विभाग में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। डा. नागर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विभाग द्वारा गुणावगुण के आधार पर विचार कर अभ्यावेदन को स्वीकृत करते हुए विभाग के आदेश दिनांक 28.09.2018 के क्रम संख्या 184 के द्वारा डा. दीपमाला नागर, चिकित्सा अधिकारी का पदस्थापन ब्लड बैंक, जिला चिकित्सालय, झालावाड में किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए डा. नागर का पदस्थापन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खातोली, कोटा में रिक्त पद पर तुरन्त प्रभाव से किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन कोटा
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, झालावाड
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा
6. संबंधित अधिकारी
7. कम्प्यूटर सेल
8. निजी /रक्षित पत्रावली


(ओ. पी. वर्मा)
शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई/चि.अ./डी-67/2019/ 146

दिनांक :

23/01/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-कोटा।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा।
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, ब्लड बैंक जिला चिकित्सालय, झालावाड।
5. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खातोली, कोटा।
6. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, एटीसी (राजपत्रित) अनुभाग, मुख्यालय।
7. डॉ. दीपमाला नागर, चिकित्सा अधिकारी द्वारा मुख्य चिकि० एवं स्वा०अधि०, कोटा।
8. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने का श्रम करें।
9. रक्षित/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।